डाईवर्सिटी से बनेगा

सशक्त और समृद्ध झारखण्ड

डॉ. विजय कुमार त्रिशरण

डाइवर्सिटी से बनेगा सशक्त और समृद्ध झारखण्ड

डॉ. विजय कुमार त्रिशरण

प्रथम संस्करण : सितम्बर, 2012

ISBN : 978-81-87618-38-6

प्रकाशक : **दुसाध प्रकाशन**
डाइवर्सिटी हाउस, वार्ड-शंकरपुरवा
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9313186503

प्रशासनिक कार्यालय
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6, नई दिल्ली-110047,
मो. : 9313186503

© **लेखक**

मूल्य : 40 रुपये

रचना : **डाइवर्सिटी से बनेगा सशक्त और समृद्ध झारखण्ड**
लेखक : डॉ. विजय कुमार त्रिशरण
आवरण : शशिकान्त
शब्दांकन : कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
मुद्रक : क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

समर्पण

पद्म श्री **डॉ. राम दयाल मुंडा** को
जिन्होंने आदिवासियों से संबंधित
सभी मिथ्या अवधारणाओं को तोड़ा
तथा झारखण्ड को अंतरिक्ष से भी आगे
ले जाने का ख्वाब देखा था..........

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक दैनिक जागरण में पंद्रह सौ शब्दों के प्रकाशित मेरे आलेख का परिवर्द्धित रूप है। यह आलेख 26, 27 मार्च 2012 को उसके झारखण्ड संस्करण में प्रकाशित हुआ था जिसे प्रत्येक स्तर के पाठकों द्वारा सराहा गया। मुझे प्रतिक्रिया मिली कि वाकई यह उम्दा किस्म का ईमानदार तबियत से लिखा गया आलेख है।

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं विख्यात लेखक तथा स्तम्भकार मा. एच. एल. दुसाध साहब ई-अखबार के ज़रिए इसे पढ़ कर इतना उत्साहित हुये कि उन्होंने इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने की इच्छा जता दी ताकि झारखण्ड के चर्तुदिक विकास का सूत्र जन-जन तक पहुंचे तथा इस आलेख के विस्तार की जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दी।

झारखण्ड में एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी समस्या से सरकार को जूझना पड़ता है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता की समस्याएं ज्यादा ही होती है। यह कितनी विडम्बना है कि प्रदेश के अब तक के सारे मुख्यमंत्री आदिवासी, परन्तु यहां के आदिवासियों की हालात मानव-पशु के समान है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पलायन और घोटाले का भुजंग तो यहां पिंडली मार कर बैठ गया है जिसके ज़हर का असर सबसे ज्यादा दलित/आदिवासियों पर ही है। धन, जन और उर्जा की अगर सबसे ज्यादा बर्वादी की कोई वज़ह होती है तो वह है-नक्सली समस्या। यद्यपि नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व सवर्णों के ही हाथ में है परन्तु बंदूकें अधिकांशतः अल्पशिक्षित अथवा अत्याचार से पीड़ित दलित/आदिवासियों के कंधों पर ही होती हैं। यही कारण है कि तबाही के इस अभियान में अपने आका की एक इशारे पर इन युवकों को कोई भी घटना अंजाम देने में कोई हिचक नहीं होती। परन्तु इसे रोका जा सकता है, बिल्कुल ही खत्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, झारखण्ड प्रदेश को समग्र विकास के शीर्ष पर ले जाया भी जा सकता है।

परन्तु यह कैसे? इन्हीं सवालों का जवाब इस पुस्तक में हैं। 2010 में मैंने एच.एल. दुसाध के साथ मिलकर 'नक्सलवाद के प्रतिकार का सर्वोत्तम उपाय : डाइवर्सिटी' पुस्तक तैयार की थी। उसमें आदिवासी समस्या पर दुसाध साहब का एक लेख भी था। मैंने वह लेख परिशिष्ट में डाला है। आशा है इस पुस्तक का उद्देश्य सफल होगा। सुझाव स्वागतेय है। मैं उन सभी मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत पुस्तक की रचना हो सकी है। मैं दुसाध प्रकाशन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिसके बदौलत यह पुस्तक जन-जन तक पहुँच सकी।

–डॉ. विजय कुमार त्रिशरण
भवनाथपुर, गढ़वा

सप्तम डाइवर्सिटी डे
(परिवर्तित तिथि : 30 सितम्बर, 2012)

अनुक्रम

डाइवर्सिटी से बनेगा सशक्त और समृद्ध झारखण्ड

दलित⁄आदिवासियों को अनुदान नहीं, अधिकार चाहिए 9—आदिवासी समस्या की जड़ में : जाति प्रथा 10—डाइवर्सिटी : विकास का सर्वोत्तम सिद्धांत 11—समग्र विकास के लिए आरक्षण से आगे कुछ और चाहिए 13—नक्सलवाद का सही समाधान : डाइवर्सिटी 13—सरकार दलित⁄आदिवासियों को आय के सभी स्रोतों में भागीदार बनाए 16—झारखण्ड के उद्योगपति दलित-आदिवासियों के लिए विशेष पैकेज लाएं 22—अवसर मिलने पर दलित-आदिवासी अंतरिक्ष से भी आगे जा सकते हैं 23— सवर्ण समाज अमेरिकी और आस्ट्रेलियन श्वेत समाज से सीख ले 26—आरक्षण की तुलना में डाइवर्सिटी विकास का एक व्यापक दर्शन है 27—डाइवर्सिटी का सिद्धांत शुद्ध स्वदेशी 31—भारत के कुछ राज्य डाइवर्सिटी का सफल प्रयोग आजमा चुके हैं 31

परिशिष्ट

आदिवासी समस्या की जड़ *—एच.एल. दुसाध*

2050 तक भारत की सत्ता पर कब्जा जमाने की माओवादी घोषणा 37—नक्सलवाद का कारण बनी डॉ. आंबेडकर की चेतावनी की अनदेखी 37—आंबेडकर की दृष्टि में आदिवासी समस्या की जड़ 38— जाति-प्रथा के कारण : समग्र वर्ग की चेतना से कंगाल हिन्दू 40—सत्ता पर हिन्दी पट्टी का वर्चस्व : लोकतंत्र का दुर्भाग्य 41—सिर्फ आदिवासी ही दे सकते थे लोकतंत्र को चुनौती 44—आदिवासी विद्रोह : ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों के संयुक्त मोर्चे के खिलाफ 45—नक्सल

विद्रोह : सवर्ण हिन्दुओं के गिरफ्त में 45—माओवाद समर्थक बुद्धिजीवियों का आदिवासी विकास का एजेंडा मानवता व सभ्यता विरोधी 47—आदिवासी भी चाहते हैं आधुनिक जीवन शैली 50—आदिवासियों के आधुनिक जीवन शैली के विरुद्ध : महाश्वेती देवी और अरुन्धती राय 51—आदिवासी समस्या के निर्मूलन के लिए 21 सूत्रीय दलित एजेंडा 52—डाइवर्सिटी ला सकती है आदिवासियों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव 53—माओवादी चाह दें तो रातों-रात लागू हो सकती है डाइवर्सिटी 54—हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए 56

दलित/आदिवासियों को अनुदान नहीं, अधिकार चाहिए

झारखण्ड अर्थात जंगल, पहाड़ों और झाड़ों से अच्छादित भूखण्ड। पेड़-पौधे, वन-पर्वत, नदी-झरना, प्रचुर खनिज-सम्पदा और आदिवासी वासिंदों से भरा झारखण्ड राज्य देश को प्रकृति-प्रदत एक बहुमूल्य उपहार है। यह भारत का हरा-भरा मनमोहक मखमली चादर है। 15 नवम्बर 2000 को पौने तीन करोड़ आबादी से भरपूर झारखण्ड एक सशक्त और समृद्ध प्रदेश बनने का सपने लेकर, एक लम्बे आन्दोलन के पश्चात् बिहार से अलग अस्तित्व में आया। ग्यारह साल का बच्चा जीवन के सड़क पर सरपट दौड़ता है। परन्तु, इतने ही उम्र का अबुआ झारखण्ड अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया है। ग्यारह साल में आठ मुख्यमंत्री बदले परन्तु, प्रदेश की तस्वीर नहीं बदली। यह सिद्ध करता है कि अभी झारखण्ड में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान है जो जिसने नवसृजित राज्य को लकवाग्रस्त बना दिया है।

शिक्षा और स्वास्थ किसी राज्य के विकास के महत्वपूर्ण मानक होते हैं। प्रदेश की शिक्षा दर और शिशु मृत्यु दर क्रमशः 54.13 प्रतिशत और 50 प्रति हजार है। यहां की कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 28 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं। दूसरे, शब्दों में झारखण्ड की कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा यानी 39 प्रतिशत आबादी दबे-कुचले लोगों की है। परन्तु घोर निराशा की बात है कि इस आबादी का 61.5 प्रतिशत हिस्सा भूमिहीन तथा 56 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को विवश है। इतना ही नहीं, 40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति विस्थापन के शिकार हैं। राज्य के 94 प्रतिशत आदिवासी जंगल अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने को मजबूर हैं। बुनियादी सुविधाओं से वंचित यह समुदाय घोर आर्थिक-सामाजिक गैर बराबरी, अन्याय और अत्याचार का शिकार हैं। बेरोजगारी, पलायनवाद, सामंतवाद, भ्रष्टाचार, विस्थापन, नक्सलवाद, अशिक्षा और अंधविश्वासी परम्परा यहां की मुख्य समस्या है। इसका सबसे ज्यादा शिकार दलित-आदिवासी ही हैं। अतः स्वाभाविक है कि

राज्य का विकास तभी संभव है जब इन वर्गों को ध्यान में रख कर कोई सरकारी योजना अथवा विकास नीति बने। सरकारी स्तर पर इनके जीवन को टिकाये रखने के लिए मनरेगा, अंत्योदय योजना, दाल-भात योजना, मिड डे मिल, कन्यादान योजना, लाड़ली योजना, सर्वशिक्षा अभियान, लाल कार्ड आदि चालू है। परन्तु यदि इन सब योजनाओं को दृढ़ इच्छाशक्ति और मज़बूत इरादों से शत-प्रतिशत कार्यान्यिवन किया भी जाय तो क्या इससे दलित-आदिवासियों का जुड़ाव सामाजिक विकास की मुख्यधारा से हो सकती है? क्या ये साइंस और टेक्नोलोजी के ज़माने से प्रतिस्पर्धा रख सकते हैं? क्या वे प्रदेश के विकास में हिस्सेदार बन सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है, कभी नहीं। इससे तो इनका केवल पेट भर सकता है, इन्हें ज़िन्दा रख सकता है। सम्मानित और विकासोन्मुखी जीवन के संबंध में तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसे में झारखण्ड कैसे और कब सशक्त और समृद्ध बनेगा? इससे तो झारखण्ड के लिए विकसित होना केहूनी का गुड़ ही साबित होगा। दरअसल, झारखण्ड के दलित- आदिवासियों को जीने के लिए महज रोटी का टुकड़ा नहीं, उन्हें वह ज़मीन चाहिए जिस पर रोटी के लिए गेहूं पैदा होता है। वे सारे हक़-अधिकार चाहिए, जिसे प्राप्त कर, वे विकसित और आधुनिक सभ्यता के व्योम में विहार कर सकें।

आदिवासी समस्या की जड़ में : जाति प्रथा

वर्ण-व्यवस्था के दुष्परिणाम के कारण यह शोषित-पीड़ित वर्ग हजारों वर्षों से शास्त्रीय निर्योग्यताओं से अभिशप्त रहा है। शिक्षा और सम्पत्ति से यह वर्ग सदियों से वंचित किया गया है। इस वर्तमान विषम परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष की चिनगारी भी बूझ चुकी है। इसी कारण यह वर्ग आर्थिक विपन्नता और सामाजिक गैर-बराबरी का दंश झेल रहा है। इनके पास न तो कृषि योग्य भूमि है और न ही उद्योग, व्यापार। हाँ, संवैधानिक आरक्षण के कारण कुछ नौकरियां जरूर है इनके पास और जिनके पास यह सुविधा है वे स्वयं तक ही सीमित रहते हैं। वैश्वीकरण सरकारी नौकरियों में दिये जाने वाले आरक्षण को अलग से लील रहा है। अतः झारखण्ड के समग्र विकास के लिए समाज और सरकार को विवेकपूर्ण ईमानदारी के साथ कुछ ऐसे सिद्धांतो का सृजन करना होगा जिससे सदियों इस वंचित वर्ग की सुपर कम्प्यूटर युग के इस युग में राष्ट्र के संपदा-संसाधनों में

वाजिब हिस्सेदारी मिले। इन्हें इनका हिस्सा चाहिए, भीख नहीं! यह तथ्य हर हाल में स्वीकार करना होगी।

डाइवर्सिटी : विकास का सर्वोत्तम सिद्धांत

झारखण्ड को विकसित प्रदेश बनाने के लिये विभिन्न सामाजिक वर्गों (सवर्ण, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा धर्मपरिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय) की भागीदारी उनके जनसंख्या के अनुपात में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सुनिश्चित करनी होगी। इससे विकास के साधनों और धन का समान बंटवारा होगा तथा प्रदेश द्रुत गति से तरक्की करेगा। विकास के इस तकनीक को डाइवर्सिटी (Diversity) कहते हैं। डाइवर्सिटी विकास का सर्वोत्तम सिद्धांत है। विकास के संदर्भ में डाइवर्सिटी का तात्पर्य ''समाजिक विविधता'' से है। यह विकास का वह सिद्धांत है जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्यानुपात के अनुसार झारखण्ड के धन, धरती, सत्ता-सम्पति तथा विकास के अन्य सभी क्षेत्रों जैसे सभी सरकारी/गैरसरकारी नौकरी, शासन-प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, शिक्षा, राजनीति, बिल्डर, कॉन्ट्रक्टर, सप्लाई, डीलरशिप, एनजीओ., मीडिया, फिल्म, कला, खेल आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना होता है।" इसमें प्रदेश के सामाजिक संरचना को ध्यान में रख कर डाइवर्सिटी के सिद्धांत को लागू किया जाता है। आरक्षण सिर्फ शिक्षा, राजनीति और नौकरी में ही मिलता है। अन्य क्षेत्रों जैसे निजी क्षेत्र, न्यायपालिका राज्यसभा, विधान परिषद, मीडिया, सप्लाई, डीलरशिप, कॉन्ट्रेक्ट, विज्ञापन, उद्योग-व्यापार आदि में दलित/आदिवासियों की भागीदारी नगण्य है।

झारखण्ड में डाइवर्सिटी के सिद्धांत लागू हो जाने से गैरबराबरी का अन्त होगा, जातिगत छुआछूत, सामंती दमन-शोषण, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार में भारी कमी आयेगी तथा सभी वर्गों का एक समान विकास होगा जिससे झारखण्ड एक सशक्त, समृद्ध और सुविकसित मॉडल राज्य के रूप में देश-दुनिया के समक्ष उभरेगा। झारखण्ड के सोशल कम्पोजिशन (सामाजिक संरचना) में 15 प्रतिशत सवर्ण, 35 प्रतिशत पिछड़ी जातियां, 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 11 प्रतिशत धर्मपरिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं। प्रदेश की यह सामाजिक संरचना झारखण्ड की सामाजिक विविधता की तस्वीर

प्रस्तुत करती है। डाइवर्सिटी सिद्धांत के अनुसार प्रदेश के समाज संरचना की यह तस्वीर झारखण्ड के प्रत्येक विभागों, संस्थानों तथा संगठनों में झलकनी चाहिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व विकास के प्रत्येक क्षेत्रों में झलकना चाहिए तभी प्रदेश में आर्थिक साम्य पैदा होगा। परन्तु वर्तमान संदर्भ में झारखण्ड के समाज संरचना के अनुसार सत्ता, अवसर और धन का वितरण नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक शक्तियां सिर्फ प्रभुत्व सम्पन्न वर्ग के पास ही क़ैद हैं। एक ही वर्ग अथवा जाति का वर्चस्व विभिन्न क्षेत्रों में है। इस कारण समाज में आर्थिक-सामाजिक विषमता और जातीय कटुता का वातावरण बना हुआ है। प्रदेश में सर्वव्यापी भ्रष्टाचार का साम्राज्य भी इसी आर्थिक विषमता की देन है। मामला स्पष्ट है, झारखण्ड एक भावी जन-विद्रोह के बारूद की ढ़ेरी पर खड़ा है। यदि समय रहते इस घोर विषमता को पाटा नहीं गया तो झारखण्ड की भूमि पर भी फ्रांस, मिश्र और अरब क्रांति की तर्ज़ पर जन-क्रांति की ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट सकती है।

गौरतलब है कि राज्य में 11 बड़े कारखाने, 19 मंझोले, 117 छोटे यानी कुल मिला कर 201 महत्वपूर्ण उद्योग हैं परन्तु इनमें से एक का भी मालिक दलित अथवा आदिवासी नहीं है। टाटा, टिस्को, टेल्को, टिनप्लेट, टीआरएफ, एग्रिको, ईसीएल, सीसीएल, बीसीसीएल, एचईसी, बोकारो स्टील प्लांट, हिन्दुस्तान कॉपर, उषा मार्टिन, बिहार कास्टिक सोडा, एसीसी जैसे उद्योग दलित/आदिवासियों के खून-पसीने से ही खड़े हैं परन्तु ऐसी फैक्ट्रियों के मालिक बनना तो दूर, इनके प्रबंध निदेशक के पद पर शायद ही आज तक कोई वंचित वर्ग का शख़्स बैठा हो। यदि सरकार दलित/आदिवासियों में से कोई उद्योगपति नहीं बना सकती तो कम से कम इनमें से इनका मैनेजिंग डायरेक्टर तो पैदा कर ही सकती है। कोई बड़ा बिल्डर, कॉन्ट्रक्टर अथवा बिजनेस मैन बनाने में भूमिका तो निभा सकती है। परन्तु, संभावना के बावजूद भी दूर-दृष्टिकोण और दृढ इच्छाशक्ति के अभाव में यह सब नामुमकिन लगता है। सत्ताधारियों की ऐसी संकीर्ण सोच राज्य के विकास और समृद्धि में बाधक है। 15 प्रतिशत वाला वर्ग सत्ता, सम्पति और सामाजिक प्रतिष्ठा और भोग-विलास के शीर्ष पर बैठा हुआ है। इनके पास देश का 85 प्रतिशत साधन-संसाधन गिरवी पड़ी है जबकी 85 प्रतिशत वाले बहुसंख्यक समाज के हिस्से में केवल 15 प्रतिशत ही गुज़ारे के निमित

साधन-संसाधन हैं। इसके कारण प्रदेश में भयावह आर्थिक गैर-बराबरी की स्थिति बनी हुई है।

समग्र विकास के लिए आरक्षण से आगे कुछ और चाहिए

आरक्षण कुछ लोगों को ही जीविका का आधार मुहैया कराता है। अधिसंख्यक लोग बेरोजगार और विपन्न अवस्था में रहते हैं। प्राप्त आरक्षण की सभी सीटें नहीं भरी जाती हैं। शासक वर्ग आरक्षण नीति के सफल कार्यान्यवन के प्रति उदासीन रहते हैं। आरक्षण केवल सरकारी क्षेत्रों में है; जबकि सरकारी नौकरियों की संख्या तेजी से घट रही है। और, गैर-सरकारी (निजी क्षेत्रों) नौकरियों की लगातार संख्या बढ़ रही है। प्रति 10 रिटायर दलित पर मात्र 2 दलित ही सरकारी नौकरी में भर्ती हो रहें हैं। इससे आरक्षण की प्रासंगिकता समाप्त हो रही है; क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजूदा आरक्षण नीति आज के संदर्भ में अप्रर्याप्त और अप्रसांगिक हो गयी है। दलित समाज के सर्वांगीण विकास के लिये आरक्षण से भी आगे कुछ चाहिए। ऐसे में वर्तमान आरक्षण नीति के स्थान पर किसी अन्य विकल्प की आवश्यकता है जो लोगों के विभिन्न तबकों (एससी/एसटी, ओबीसी, सवर्णो और धार्मिक अल्पसंख्याओं) को समस्त आर्थिक गतिविधियों में उनकी संख्यानुपात में भागीदारी सुनिश्चित करायें। तथा आर्थिक गैर बराबरी को दूर कर समाजिक विषमता को पाटे। ऐसा विकल्प है, और वह है 'डाइवर्सिटी'। डाइवर्सिटी वर्तमान में प्रदेश के चतुर्दिक विकास का प्रमुख एजेन्डा है। आज अमेरिका ने विकास के इसी तकनीक के द्वारा न केवल समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष अपने को प्रस्तुत किया है बल्कि वहाँ काले और गोरे के बीच भेद मिटा कर समरस समाज निर्माण की एक मिसाल पेश किया है।

नक्सलवाद का सही समाधान : डाइवर्सिटी

झारखण्ड में आर्थिक विषमता काफी ख़तरनाक है जो विद्रोह को आमंत्रित करती है। नक्सलवाद इसी की देन है। विश्व-प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता अर्मत्य सेन के अनुसार 'विषमता और विद्रोह में बहुत निकट संबंध है। विषमता की अनुभूति किसी भी समाज में विद्रोह के स्वर मुखर कर सकती है।' 'ग़रीबी

और अकाल' नामक पुस्तक में प्रो. अमर्त्य सेन लिखते हैं कि 'लोगों को इतना भी गरीब नहीं होने देना चाहिए कि उनको स्वयं से घिन आने लगे या वे समाज को नुकसान पहुँचाने लगें! इसमें कोई सन्देह नहीं कि गरीबों की विपन्नता अमीरों की खुशहाली पर अवश्य प्रभाव डालती है।' भारत में अमीरों की खुशहाली पर प्रभाव डालने वाले सारे तत्व मौजूद हैं। नक्सलवाद और जातीय जनसंहार झारखण्ड में इसी एकतरफा विकास (आर्थिक विषमता) का नतीजा है। जब बहुजन चेतना अंगड़ाई लेगी तो अमीरों की नींद हराम होगी ही। अतः झारखण्ड को 'सम्पन्न खण्ड' और 'विपन्न खण्ड' में एक और विभाजन को रोकने के लिये डाइवर्सिटी जरूरी है।

झारखण्ड आदिवासी बहुल प्रदेश है। यहां के आदिवासी अज्ञानता, अंधविश्वास और शोषण-दमन के गिरफ्त में चिरकाल से हैं। वर्तमान युग के युवक जीविका के साधन के अभाव में मुख्यधारा से भटक कर कलम के बजाय हाथ में बंदूक थाम लिये हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बयान से स्पष्ट होता है कि उन्हें आर्थिक-सामाजिक गैरबराबरी की असह्य पीड़ा के कारण ही इस मार्ग पर कूद जाने को विवश करती है। असंतोष को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। नक्सली मारे तो जा रहें हैं परन्तु खत्म कहां हो रहें हैं? वे अनुकूल अवसर की तलाश करते हैं और मौका पाते ही न जाने कितने ही पुलिस बल और आम नागरिकों को शिकार बना लेते हैं। अतः नक्सली समस्या का समाधान बंदूक नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है, यानी आर्थिक गैर-बराबरी का खात्मा, जो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है।' नक्सली आत्मसमर्पण नीति नाकाफी है, यह अस्थाई समाधान है। यदि 39 प्रतिशत दलित और आदिवासी विकास के विभिन्न क्षेत्रों के भागीदार बनेंगे तो निश्चित रूप से नक्सलवाद दफन हो जायेगा। सरकार जंगल पर आदिवासियों के अधिकार की बात करती है परन्तु प्रदेश के अकूत खनिज-सम्पदा से संबंधित प्रबंधन के मामले में आदिवासियों के प्रति उदासीन है।

माइनिंग और इंडस्ट्री झारखण्ड के मुख्य आर्थिक-स्रोत हैं। खनिज-सम्पदा के मामले में यह देश का सबसे उन्नत राज्य है। लौह-अयस्क और कोल माइनिंग के मामले में इस प्रदेश का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा तांबा, अबरख, ग्रेफाइट, हेमाटाइट, काइनाइट, बॉक्साइट, चाइना क्ले, एसबेस्टस फल्सफर, मैंगनीज, अंगस्टन, क्रोमाइट, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, जिरकोनियम, थोरियम आदि का यहा

विशाल भंडार है। परन्तु यह दुर्योग है कि यहां जितने भी माइन्स और फैक्ट्रियां हैं उनमें कुछ अपवाद को छोड़ कर दलित-आदिवासी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा ठेका मजदूर ही हैं। माइन्स और फैक्ट्रियों में उनका न तो स्वामित्व है और न ही भागीदारी। ऊपर से इनका भयंकर शोषण! तेंदु पत्ता और लौह उत्पादन में भी झारखण्ड देश ही नहीं, विश्व स्तर पर अव्वल है। परन्तु इस व्यवसाय पर भी एक खास वर्ग का ही वर्चस्व है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? 'उचित यही होगा कि सामाजिक भागीदारी के तहत इन वर्गों को ठेका, आपूर्ति, डीलरशिप निर्माण और उच्च स्तर पर प्रबंधन में भगीदार बनाया जाए। सरकार दलित/आदिवासियों को खदानों में माल ढुलाई के लिए ट्रक दे, ठेका लाइसेंस दे, उन्हें आपूर्तिकर्ता बनाए तथा प्रोमोशन पॉलिसी के तहत सभी माइन्सों, फैक्ट्रियों में जी. एम. और डायरेक्टर बनाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सभी निजी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से इन वर्गों के लिए 39 प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराए वर्ना उस संस्थान की मान्यता रद्द करे। सरकारी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के स्थान पर लाभूक वर्ग के बच्चों को 'एजुकेशन कम्पनसेशसन' की राशि तय करे। सरकार वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान की अनुसूची 5 और 6 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करे। कृषि को उद्योग का दर्जा दे ताकि कृषक मजदूर को लाभ मिले। अन्याय और अत्याचार के शिकार दलित-आविासियों के त्वरित न्याय के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और 1995 के तहत दलित-आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शासन-प्रशासन के उच्च पदों पर इसी वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए तथा व्यवस्था बने कि कोई भी मामला तीन साल के भीतर ही निष्पादित हो।

इस वर्ग के शिक्षित युवकों को भी चाहिए कि वे केवल नौकरी के पीछे न भागें, बल्कि जॉब (नौकरी के विकल्प के रूप में जीविकोपार्जन के अन्य साधन) की तलाश करें। व्यवसाय करने की हिम्मत जुटाएं तथा इसके लिए मानसिकता विकसित करें। नौकरी से एक परिवार का परवरिश होगी जबकि व्यवसाय सैकड़ों परिवारों के भरण-पोषण का आधार बनेगा। प्रदेश के नौजवान धीरूभाई अम्बानी बनने का सपना देखें। उनसे प्रेरणा लें कि कैसे एक पेट्रोल पम्प का स्टाफ दुनियां का सबसे बड़ा उद्योगपति बनता है। आमतौर पर समाज और सरकार की यह

धारणा है कि 'आदिवासी जंगल में ही अच्छे लगते हैं। उन्हें जंगल में ही रहना चाहिए, इससे जंगल की शोभा बढ़ती है। नाचना, गाना, मांदर बजाना और हंड़िया पी कर मौज-मस्ती मनाना ही उनकी संस्कृति है। इन सब आदतों को बचा कर रखना चाहिए। भूखे पेट और प्यासा रहना, मोटा अनाज खाना, अर्द्धनग्न रहना उनका आदर्श है। ऐसा ही जीवन जीने से उनकी पहचान बनती है।' परन्तु यह धारणा बहुत ही खतरनाक है। 28 प्रतिशत आदिवासी को विज्ञान, सभ्यता और आधुनिकता से कोसों दूर रख कर प्रदेश को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है? ऐसी धारणा आदिवासियों के लिए भारी धोखा तो है ही, सरकार और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। आदिवासियों को जंगलों में ही सीमित रखने की जंगली मानसिकता को छोड़ कर उन्हें सभ्यता और आधुनिकता के खुले आकाश में अट्टाहास करने देने की सोच विकसित करनी होगी। यू. पी. की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तर्ज पर सरकार कुछ शिक्षित आदिवासियों को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के लिए विदेश भेजने का प्रावधान करे। आदिवासी और दलित समाज को कम्प्यूटर युग की सभी आधुनिक सुविधाओं से लैश किया जाए। दिवंगत रामदयाल मुंडा, कार्तिक उंरावं आदि ने विदेशों से लब्धप्रतिष्ठित डिग्रियां हासिल की थी, क्या इससे आदिवासी संस्कृति को नुकसान हुआ था? मुंडा साहब तो आदिवासी संस्कृति के संरक्षक और चिंतक थे।

सरकार दलित/आदिवासियों को आय के सभी स्रोतों में भागीदार बनाए

निम्नलिखिल उपायों से सूबे के शोषितों को उनकी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर आय के सभी स्रोतों में भागीदार बना कर प्रदेश को सुखी, संपन्न और मॉडल राज्य बनाया जा सकता है। परन्तु इसके लिए दिखावटी व्यवहार नहीं, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और मज़बूत आत्मविश्वास होना जरूरी है।

1. झारखण्ड में माइनिंग, फैक्ट्री/प्लान्ट, पी. डब्ल्यू. डी., सिचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा या जहाँ कहीं भी निमार्ण कार्य ठेके पर कराए जाते हैं, कुल राशि के 39 प्रतिशत (11 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 28 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति) भाग का ठेका दलित/आदिवासी ठेकेदारों के लिये सुरक्षित कर दिया जाय। इसके लिए सरकार इन्हें पेट्रोल पंप और रसोई गैस ऐजेन्सी की तरह विभिन्न स्तर का ठेका लाइसेंस प्रदान करे। सरकार का लगभग समस्त निर्माण कार्य ठेकेदारों

द्वारा ही होता है, जहाँ अरबों रुपये खर्च होते हैं। दलित आदिवासी ठेकेदार ज्यादा ईमानदारी और वफादारी से काम करेंगे। ये ज्यादा मेहनती और कर्त्तव्यपरायण होते हैं। अतः दलितों/आदिवासियों को ठेकों में भागीदारी मिलनी चाहिए। इससे लाखों परिवार रोजगार पायेंगे।

2. सभी खनन क्षेत्रों में माल ढुलाई के लिए ट्रक या अन्य वाहनों की आवश्यकता होती है। ओपेन कोल माइनिंग के तहत खनन क्षेत्र को बालू भरने के लिए भी ट्रकों की जरूरत होती है। यह काम भाड़े के ट्रकों द्वारा होता है। ट्रक मालिक को इससे काफी आर्थिक उपार्जन होता है। सरकार सभी सरकारी और निजी खदान मालिकों को फरमान जारी करे कि 39 प्रतिशत ट्रक मालिक दलित/आदिवासी होंगे। सरकार इन्हें ट्रक क्रय करने के लिए आसान ऋण मुहैया कराए। इसी प्रकार खनन में काम आने वाले भारी वाहन जैसे पे-लोडर, ड्रील मशीन, शावेल, डोजर, डम्फर आदि का प्रयोग भी जनसंख्या के अनुपात में दलित-आदिवासी का ही हो।

3. जिन आदिवासियों के जमीन पर फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उस परिवार के योग्य सदस्य को उस फैक्ट्री में भागीदार बनाए न कि महज एक नौकरी का भीख दे दे। अब समय आ गया है कि दलित-आदिवासियों को मज़दूर नहीं, मालिक बनने का सपना दिखाया जाय। अभी तक इन क्षेत्रों में सिर्फ शासक वर्गों, भू-माफियाओं और सामंतों का ही दबदबा है।

4. तेंदू पत्ता, लौह, वन-उत्पाद और बालू से संबंधित कारोबार पर पूरा स्वामित्व दलित-आदिवासियों को ही सरकार दे। जंगल और नदी तट पर रहने वाले इन श्रमण वर्गों के लिए श्रम ही पूजा है; अतः इस पर अधिकार शोषण और शासन करने वालों का कभी नहीं होना चाहिए। जंगल में रहने वाले आदिवासिओं को महुआ, करंज, कुसुम, हर्रे, बहेरा, आंवला तथा अन्य औषधीय जड़ी-बूटियों के अलावा कंद-मूलों के संग्रहण करने की अनुमति है और यही उनके जीविका का आधार है। आदिवासी परिवार इमली, जामुन, पियार, चिरोंजी, बेर आदि बेंच कर भी अपना गुजर-बसर करते हैं। ये चोप से रस्सी, घास से झाड़ू, महुआ, पलास के पत्तल-दोना बना कर बेंचने तथा नीम और साखू के दतवन एवं सुखी लकड़ियों के जलावन भी विक्रय कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सरकार इसी पर संतुष्ट हो

जाती है कि आदिवासियों का किसी तरह पेट भर जा रहा है और वे इतना ही मात्र से हड़िया पी कर मस्त रहते हैं तथा कुछ अधिक की मांग नहीं करते। परन्तु ऐसा सोचना प्रदेश के लिए घातक है। इन्हें लघु वनोत्पाद आधारित उद्योग से कोसों दूर रखा गया है। इसी प्रकार टिम्बर-व्यवसाय से इनका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि देशी शराब बनाने के लिए लाइसेंस धारक को ये सीधे महुआ आपूर्ति नहीं कर पाते। इसमें बिचौलिये अथवा व्यापारी महुआ चूनने वालों से सस्ते दर पर माल क्रय कर उसे महंगे दामों में बेंचते हैं। मतलब कि आदिवासियों की गाढ़ी कमाई का अधिकांश मुनाफा सेठ-साहूकार गटक जाते हैं। परन्तु अब सदियों से सताए गए समुदाय को वनों से संबंधित प्रत्येक प्रकार के व्यवसायों में प्रतिनिधित्व देना होगा, यही समय की मांग है। इस नयी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था स्थापना के लिए मिल कर सब सोंचे। सब विचार करें।

5. ऑफिस तथा फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाले स्टेशनरी तथा निर्माण कार्य में काम आने वाले सामग्रियों एवं अन्य बस्तुओं की कुल खरीद का 39 प्रतिशत भाग दलित/आदिवासी दुकानदारों/आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाय। लाखों दलित रोजगार पायेंगे। इसी प्रकार सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों में खरीदी जाने वाली दवाओं का 39 प्रतिशत दलित-आदिवासी केमिस्ट से ही खरीदा जाय। ऐसा करने से लाखों दलित आदिवासी रोजगार पा सकते हैं।

6. प्रदेश में स्थापित प्रत्येक निजी उपक्रमों/कंपनियों को यह निर्देश दिया जाय कि वे दलितों-आदिवासियों के लिये नौकरी, सप्लायर, कान्ट्रक्टर और डीलरशिप डाइवर्सिटी लागू करे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कंपनियों पर 'भेद-भाव कर' अथवा 'छुआछूत कर' (Dicrimination Tax or Untouchablity Tax) लगाया जाय।

7. अंग्रेजी माध्यम के तथा सभी प्राइवेट स्कूलों में 'एडमिशन डाइवर्सिटी' लागू किया जाय। अर्थात् छोटी-बड़ी हर प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के कुल प्रवेश में 39 प्रतिशत प्रवेश दलित-आदिवासी बच्चों के लिए अनिवार्य किया जाय। एडमिशन डाइवर्सिटी तकनीकि एवं व्यवसायिक स्तर के शिक्षा संस्थानों में भी अनिवार्य किया जाय। जो शिक्षण संस्थान डाइवर्सिटी लागू नहीं करता उसकी सरकारी सहायता तथा मान्यता समाप्त की जाय।

8. 'शिक्षा का राष्ट्रीयकरण' हो तथा निर्धन परिवार के बच्चों के शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार स्वयं उठाए। प्रदेश में एक समान पाठ्यक्रम हो तथा विद्यार्थियों के नाम के साथ जातिसूचक सरनेम का प्रयोग कानूनी रूप से समाप्त किया जाय, इससे जातिवाद में कमी आयेगी। जिन गरीब दलित-आदिवासी बच्चों के काम न करने से उन्हें आमदनी का नुकसान होता है, उन परिवारों को एजुकेशन कम्पनसेशन के रूप में मुआवजा सुनिश्चित किया जाय।

9. ग्रामीण सरकारी शिक्षण संस्थानों का आधुनीकिकरण किया जाय तथा सभी शिक्षार्थियों के लिये व्यवसायिक तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाय।

10. समस्त शिक्षित दलित-आदिवासी बेरोजगारों को न्यूनतम रु.100/प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowence) दिया जाय। तकनीकि शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के लिये 'विशेष भत्ता' (Special UnemploymentAllowence) दिया जाय।

11. प्रदेश में खाली पड़े जमीन को भूमिहीन दलित-आदिवासियों के बीच बांट दिया जाय तथा ऐसा भूमि सुधार कानून बनाया जाय कि न कोई जमींनदार रहे और न ही कोई भूमिहीन मजदूर।

12. मंदिर और मठों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन को, जिस पर भू-स्वामियों और पुजारियों का कब्ज़ा है, उसे भूमिहीन दलित-आदिवासियों के बीच वितरीत कर दिया जाय।

13. जिन आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी गई हैं, उन्हें उनकी जमीनें वापस दिलायी जाय। उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाय तथा उनके पुनर्वास के उपाय किये जायें। उनकी जमीनें एवं वनों के अधिक लाभकारी उपयोग के लिये उन्हें संसाधन दिये जायें। बांधों, विकासकारी योजनाओं तथा खनन गतिविधियों के कारण विस्थापित लोगों को ऐसे उद्यमों में अंशधारक बनाया जाय।

14. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आलोक में किये गये प्रावधानों, विशेष कर अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और 1995 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाय। एक रिर्पोट (ऑक्सफाम

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

- ✓ We champion diverse voices and perspectives
- ✓ Your support helps amplify underrepresented authors
- ✓ We provide free access to educational institutions
- ✓ Building bridges through shared stories
- ✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

- Curate diverse book collections
- Support authors from marginalized communities
- Provide free resources to educators
- Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library